उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनु0–6
संख्या–1897 बी/क0नि0–6–2017
लखनऊः दिनांकः 01 दिसम्बर, 2018 (जनवरी)

निदेशक,
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,
लखनऊ।

कृपया शासनादेश सं0–1704बी/क0नि0–06–2017–1(बी)/2017 दिनांक 30 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से फसली ऋण मोचन योजना के पर्यवेक्षण एवं सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्टेक होल्डर्स की टीम गठित की गयी है। उक्त टीम मण्डलवार/जनपदवार योजना के संबंध में भ्रमण कर योजना विषयक प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता तथा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कृषकों से फीड बैक प्राप्त कर योजना के मापदण्डों के अनुरूप शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

2– उक्त के क्रम में दिनांक 11.12.2017 को अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि NIC के प्रतिनिधि मंडलों में न जाकर भ्रमण हेतु जाने वाली समिति को तकनीकी रूप से सहायता प्रदान करेंगे और आवश्यकतानुसार सहयोग मॉगे जाने पर समिति के सदस्यों को ऑकड़ों संबंधी सूचना उपलब्ध करायेंगे। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

संलग्नक : यथोक्त।

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्या (1) बी /क0नि0–06–2017/तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव, संस्थागत वित्त।
5. निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण, उ0प्र0।
7. सचिव, उपकार मण्डी परिषद, लखनऊ।
8. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त सचिव/उप सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0शासन।
10. राज्य विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 को इस आशय से प्रेषित कि वे जिले स्तर पर जिला सूचना अधिकारी को इस संबंध में सूचित करें।
11. कृषि निदेशक, उ0प्र0।
12. संबंधित अधिकारी।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।